

प्रपत्र-14

परियोजना विवरण :- सौगढ पन्तगाँव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से डेड लेन में परिवर्तन किये जाने का निर्माण

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.612 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

ग्रामीण विकास अधिकारी,
प्रभागीय वनाधिकारी

जिला अधिकारी,
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा

बहुसोमदार अधिकारी,
विवा वनबोर्ड

वन विभागाध्यक्ष, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

प्र० प्र० ब०
रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

उपाजिलाधिकारी भिकियारसैण
जनपद अल्मोड़ा